कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0 नि0/1548/ दिनांकः– 11.02.15

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, नवादा

महाशय,

नगर परिषद, नवादा के वर्ष 2013–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 613/14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

पत्र पंजी
20 FEB 2015
संख्या 1686
विहार, पटना

सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0/1548/2218 दिनांक– 11.02.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, नवादा

11/02/15
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.–613/14–15

भाग–I

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर परिषद, नवादा
2.	लेखा वर्ष	2013–14
3.	अंकेक्षण की अवधि	09.06.14 से 23.06.14
4.	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	1. श्री मनोज कुमार–I, व0ले0प0अ0 2. श्री ओम प्रकाश सिंह, स0ले0प0अ0 3. श्री राजेश कुमार–III, स0ले0प0अ0 4. श्री आलोक कुमार–III, ले0प0 5. श्री शिवराम, ले0प0
5.	कार्यालय प्रधान का नाम	श्री तारकेश्वर प्रसाद साह
6.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार–विमर्श हुआ	हाँ।
7.	लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट– I
8.	लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट– II

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

आय– व्यय (2013–14)

कंडिका– 9(क) पी0एल0 खाता

1. प्रारंभिक शेष– **75561190.47**
2. **आय**
   (i) आवंटन–106475579
   (ii) अन्य/स्वनिधि–8509290
   (iii) अन्य–3902
3. (i+ii)– 190546059.47
4. (1+3) कुल 190546059.47
5. **व्यय– 127286272**
   (i+ii) – 2093589
6. अंतशेष (4–5) – 63259787.47
   कोषागार पासबुक के अनुसार अंतशेष = 63353455.47
   अंतर = 93668

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति–

1. पी0एल0 खाता रोकड़ बही के 31.03.14 के अंतशेष एवं कोषागार पासबुक के 31.03.14 के अंतशेष के अंतर ₹93668 का समाधान कर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

2. पी0एल0 खाता का मदवार आय– व्यय तैयार नहीं किया गया था, जिससे यह पता नहीं चल सका कि किस मद में कितना आय– व्यय हुआ है।

उत्तर में बताया गया कि

1. अंतर से संबंधित समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करा दिया जाएगा।
2. पी0एल0 रोकड़ बही में मदवार तथा माहवार विवरण तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा

कंडिका– 9(ख) मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना

1. प्रारंभिक शेष– **5550176**
2. **आय**
   (i) प्राप्ति–100674
   (ii) ब्याज–111314
   (iii) अन्य–3902
3. (i+ii+ iii)– 215890
4. (1+3) 5766066
5. **व्यय**
   (i) योजना– 2034066
   (ii) अन्य– 59523
6. (i+ii) – 2093589
7. (4–6) – 3672477 (रोकड़ बही के अनुसार 31.03.14 को अंतशेष)

पासबुक के अनुसार अंतशेष = 4787787
अंतर = 1115310
बैंक का नाम/ खाता संख्या = CBI/2255503259

लेखापरीक्षा टिप्पणीः–

रोकड़ बही एवं पास बुक के अंतर ₹1115310 का समाधान विवरणी लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

उत्तर में बताया गया कि अंतर से संबंधित समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

कंडिका–9(ग) तेरहवीं वित्त

1. प्रारंभिक शेष– शून्य
2. **आय**
   (i) प्राप्ति–10357836
   (ii) ब्याज–133409
   (iii) अन्य– शून्य
3. (i+ii+ iii)– 10491245
4. (1+3) 10491245
5. **व्यय**
   (i) योजना– 967538
   (ii) अन्य– 671149
6. (i+ii) – 1638687
7. (4–6) – 8852558 (रोकड़ बही के अनुसार अंतशेष 31.03.14)

कोषागार पासबुक के अनुसार अंतशेष = 8983106
अंतर = 8983106–8852558= 130548
बैंक का नाम/ खाता संख्या= SBI/32696047596

कंडिका– 9(घ) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

1. प्रारंभिक शेष– 169238 (01.04.13)
2. **आय**
   (i) प्राप्ति– 9709149
   (ii) ब्याज–20083
   (iii) अन्य– शून्य
3. (i+ii+ iii)– 9729232
4. (1+3) – 9898470
5. **व्यय**
   (i) योजना– 8290520
   (ii) अन्य– 1601140.70
6. (i+ii) – 9891660.70
7. (4–6) –6809 (रोकड़ बही के अनुसार अंतशेष 31.03.14)

पासबुक के अनुसार अंतशेष = 2586933.30
अंतर = 2580124.30
बैंक का नाम/ खाता संख्या = PNB/2711000100170743

1345

कंडिका– 9(ड़) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

1. प्रारंभिक शेष– 7069174 (01.04.13)
2. **आय**
   (i) प्राप्ति– 10357876
   (ii) ब्याज–357252
   (iii) अन्य– 304200
3. (i+ii+ iii)– 11019288
4. (1+3) – 18088462
5. **व्यय**
   (i) योजना– 3095695
   (ii) अन्य– 10357876
6. (i+ii) – 13453571
7. (4–6) –4634891 (रोकड़ बही के अनुसार अंतशेष 31.03.14)
   तेरहवीं वित्त की आवंटित राशि ₹10357876 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना रोकड़ बही में ली गई थी। इसे पुनः तेरहवीं वित्त में स्थानांतरित कर दी गई थी।

   पासबुक के अनुसार अंतशेष = 4634891
   अंतर = 0
   बैंक का नाम/ खाता संख्या =SBI/11136966944

कंडिका– 9(च) विधायक/सांसद निधि

1. प्रारंभिक शेष– 363122 (01.04.13)
2. **आय**
   (i) प्राप्ति– –
   (ii) ब्याज–9003
3. (i+ii)– 9003
4. (1+3) – 372125
5. **व्यय**
   (i) अन्य– 372125
6. (4–5) –शून्य (17.01.14) राशि स्थानांतरित

   पासबुक के अनुसार अंतशेष = 2586933.30
   बैंक का नाम/ खाता संख्या = IDBI/125010400000771

कंडिका– 9(छ) जिला विकास

1. प्रारंभिक शेष– 15311 (01.04.13)
2. **आय**
   (i) प्राप्ति– 203800
   (ii) ब्याज–535
3. (i+ii)– 204335
4. (1+3) – 219646
5. **व्यय**
   (i) योजना– –
   (ii) अन्य– 219646
6. (4–5) –शून्य (रोकड़ बही के अनुसार अंतशेष 31.03.14)
   अंतर = 0
   बैंक का नाम/ खाता संख्या = IDBI/1250104000007771

कंडिका– 9(ज) टाउन हॉल

1. प्रारंभिक शेष– 903336 (01.04.13)
2. **आय**
   (i) प्राप्ति– –
   (ii) ब्याज–48928
3. (1+2) – 952264 (31.03.14)
4. **व्यय–**
5. (3–4) –952264 (31.03.14)

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1. तेरहवीं वित्त रोकड़ बही एवं पास बुक के अंतर का समाधान कर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करें।

2. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मद के रोकड़ बही एवं पास बुक के अंतर का समाधान कर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करें।

3. टाउन हॉल रोकड़ बही के अनुसार अंतशेष विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह पता नहीं चल सका कि 31.03.14 तक टाउन हॉल मद में पासबुक में किताना अंतशेष है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि अंतर से संबंधित समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

1343

कंडिका– 9(झ) शिशु उद्यान

1. प्रारंभिक शेष– 6601 (01.04.13)
2. आय– –
3. कुल प्राप्ति– –
4. (1+3) – 6601
5. **व्यय**– –
6. अंतशेष (4–5) –6601 (17.01.14)

रोकड़ बही के अनुसार उपरोक्त राशि कॉपरेटिव बैंक खाता संख्या 2133 से IDBI खाता संख्या 125010400000771 में स्थानांतरित।
पासबुक – अनुपलब्ध।

कंडिका– 9(ञ) सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना

1. प्रारंभिक शेष– –
2. **आय**
   (i) प्राप्ति– 747000
   (ii) अन्य– 598372
3. कुल प्राप्ति– 1345372
4. **व्यय**
   (i) खर्च (मानदेय)– 747000
5. (3–4) – 598372 (रोकड़ बही के अनुसार अंतशेष 31.03.14)

पासबुक के अनुसार अंतशेष (23.01.14)= 519546
बैंक का नाम/ खाता संख्या=IDBI/1250104000007771

कंडिका– 9(ट) एन0एस0डी0पी0

1. प्रारंभिक शेष– 163098 (01.04.13)
2. **आय**
   (i) प्राप्ति– –
   (ii) ब्याज–9955
3. (i+ii)– 9955
4. (1+3) – 173053
5. **व्यय**
   (i) योजना– –
   (ii) अन्य– –
6. (i+ii) – –
7. (4–6) अंतशेष–173053 (रोकड़ बही के अनुसार 31.03.14 को अंतशेष)

पासबुक के अनुसार अंतशेष = 173053 (08.03.14)
अंतर = शून्य
बैंक का नाम/ खाता संख्या = PNB/2711000100048464

कंडिका– 9(ठ) चापाकल

1. प्रारंभिक शेष– 11097 (01.04.13)
2. **आय–** –
   (i) प्राप्ति– –
   (ii) ब्याज– –
3. कुल– 11097

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति–

1. रोकड़ बही नलकूप एवं शिशु उद्यान का पास बुक उपलब्ध नहीं कराया गया।

2. सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना रोकड़ बही में शिशु उद्यान, जिला विकास एवं सांसद/विधायक निधि की राशि स्थानांतरित की गई थी।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार राशियाँ हस्तांतरित की गई थी। भविष्य में अलग– अलग खातों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर दिया जाएगा।

कंडिका– 10 बजट (2013–14)

बिहार म्यूनिसिपल एक्ट 2007 के धारा 80 से 85 के अनुसार नगर निगम हेतु आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन बोर्ड में फरवरी माह के 15 वीं तारीख या उसके बाद यथासंभव उसके बाद प्रस्तुत करेगा। सशक्त स्थायी समिति द्वारा धारा 83(1) के अंतर्गत प्रावधानानुसार रिपोर्ट को समीक्षा कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। बोर्ड द्वारा 15 मार्च तक उक्त बजट प्राक्कलन को अंगीकार कर राज्य सरकार को भेजेगा।

वर्ष 2013–14 हेतु बजट प्राक्कलन नवादा नगर परिषद द्वारा दिनांक 06.05.13 को तैयार किया गया, जिसे बोर्ड द्वारा दिनांक 04.06.13 को अनुमोदन किया गया। इसे दिनांक 07.06.13 को अंगीकार हेतु सरकार को भेजा गया।

उपरोक्त तथ्य से यह प्रतीत होता है कि नगर परिषद, नवादा द्वारा वर्ष 2013–14 का बजट प्राक्कलन समयानुकुल नहीं तैयार एवं पारित किया गया।

पुनः वार्षिक लेखा तैयार नहीं किये जाने के कारण मदवार बजटीय आय–व्यय का वास्तविक आय–व्यय से तुलना नहीं की जा सकी। वार्षिक लेखा का संधारण किया जाय।

उत्तर में बताया गया कि भविष्य में निर्धारित समय के भीतर बजट प्राक्कलन तैयार किया जाएगा तथा राज्य सरकार के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भेजा जाएगा।

कंडिका– 11 लेखापरीक्षा परिणाम

1. आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– 14062099.00
2. वसूली हेतु सुझायी गई राशि– 1239334.00
3. लेखापरीक्षा अवधि में जमा की गई राशि– 176219.00

कंडिका– 12 सामान्य अभ्युक्ति

नगर परिषद, नवादा की लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। अनुदान तथा अनुदान विनियोग पंजी संम्पति पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। मॉग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृति कर की वसुली हेतु सार्थक प्रयास किए जाए, वार्षिक लेखे, आय– व्यय लेखा, तुलन पत्र के साथ इत्यादि का संधारण नहीं किया जा रहा था। नगर पंचायत प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सूचनात्मक बनाने हेतू विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। नगर परिषद हेतु कोई भी क्रय पारदर्शिता पूर्ण एवं वित्तीय नियमावली के नियमानुसार की जाय।

भाग– II (क) – शून्य

भाग– II (ख)

कंडिका– 1 स्ट्रीट लाईट (85 वाट सी.एफ.एल./250 वाट भेपर लाईट सेट) के क्रय में भारी अनियमितता –₹ 81.36 लाख

नगर परिषद, नवादा द्वारा उपलब्ध कराये गये योजना पंजी/योजना संचिका के नमूना जाँच में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा वर्ष 2013–14 में तेरहवीं वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से 93 योजनाओं में नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों के 1678 स्थानों पर 85 वाट हेवल्स सी.एफ.एल. लाईट सेट एवं 325 स्थानों पर 250 वाट हेवेल्स भेपर लाईट सेट, जिनकी प्रा0 राशि कुल ₹ 84.03 लाख थी, के लगवाने हेतु दिनांक 01.02.13 (निविदा संख्या 5/12–13), 31.08.13 (निविदा सं0 3/13–14) एवं 22.09.13 (निविदा संख्या 4/13–14) को अखबार के माध्यम से संवेदक के नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई। विवरण निम्न हैं–

निविदा सं0	अखबार में प्रकाशित तिथि	योजनाओं की संख्या	
		तेरहवीं वित्त	चतुर्थ राज्य वित्त
5/12–13	01.02.13	23	6
3/13–14	31.08.13	–	31
4/13–14	22.09.13	33	–
कुल		56	37

कुल 93 योजनाएँ

लगाये गये लाईट सेट की विवरणी–

मद	कुल योजना	85 वाट (दर 2800 प्रति)	250 वाट (दर 11400 प्रति)	राशि
तेरहवीं	54	1426	252	6865600
चतुर्थ	35	234	54	1270800
कुल	89	1660	306	8136400

कार्य पूर्ण नहीं तथा संवेदक को भुगतान नहीं:–

मद	कुल योजना	85 वाट	250 वाट	राशि
तेरहवीं	2	16	15	215800
चतुर्थ	2	2	4	51200
कुल	4	18	19	267000

कुल राशि	93	1678	325	8403400

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर)

नगर परिषद् द्वारा 1678 सी0एफ0एल0 लाईट सेट (85 वाट) तथा 325 भेपर लाईट सेट (250 वाट) लगाने हेतु नगर परिषद द्वारा कार्यान्वित लोक कार्य के साथ योजना ली गई तथा संवेदक की नियुक्ति हेतु निविदा जारी की गई, जिसके अनुसार 85 वाट हेवेल्स सी0एफ0एल0 लाईट सेट का दर (अधिष्ठापन सहित) ₹2800 प्रति तथा 250 वाट हेवेल्स भेपर लाईट सेट (अधिष्ठापन सहित) का दर ₹11400 प्रति था।

यह पूछे जाने पर कि उक्त दर का क्या आधार है, बताया गया कि उक्त दर नगर परिषद द्वारा वर्ष 2008–09 में निर्गत कार्यालय आदेश (ज्ञा0 1873 दि0 27.09.08) के आधार पर था। उक्त आदेश के अनुसार लाईट सेट के क्रय हेतु दो दुकान निर्धारित किया गया था, जिसके अनुसार 250 वाट हेवल्स क्रय मारूति ट्रेडर्स, पुरानी बाजार, नवादा से (11400 प्रति के दर से) तथा 85 वाट सी0एफ0एल0 रीगा एजेंसी से (₹2800 प्रति के दर से) क्रय किया जाना था।

1. लेखापरीक्षा आपत्ति– क्रय समिति का गठन नहीं/अधिकृत फर्म/आपूर्तिकर्ता को निविदा के द्वारा आमंत्रण नहीं–

वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प पत्र सं0 एम 4–05/2009 (खंड)–8672 वि0(2) पटना, दिनांक 11.09.09 के अनुसार नगर निकायों में विभिन्न सामाग्रियों एवं सेवाओं की आपूर्ति की दर/गुणवत्ता में एकरूपता लाने के उद्देश्य से बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) को बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2005 के नियम – 129 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगर

239

निकायों के लिए उपयोग में आने वाली सामग्रियों एवं सेवाओं के दर निर्धारण एवं अधिप्राप्ति हेतु 'राज्य क्रय संगठन' नामित किया गया था।

पुनः बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2005 के नियम 131 (घ), (ड़), (ज) आदि के प्रावधानानुसार क्रय हेतु स्थानीय क्रय समिति गठन कर दर, गुणवत्ता एवं विशिष्टियाँ के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी या केन्द्रीय क्रय संगठन (डी0 जी0 एस0 एण्ड डी0) द्वारा संवेदित दर पर वस्तुएँ सीधे अभिप्राप्ति करनी है। नियम 131 ज के प्रावधानानुसार 25 लाख रूपया एवं उससे अधिक मूल्य की सामग्री की अभिप्राप्ति विज्ञापन निविदा द्वारा की जानी है।

परन्तु उपरोक्त सभी सरकारी नियमों/आदेशों का पालन न कर नगर परिषद, नवादा द्वारा प्रकाश हेतु सी0एफ0एल0 85 वाट लाईट सेट एवं 250 वाट भेपर लाईट सेट के आपूर्ति/लगवाने हेतु न तो बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानानुसार कोई क्रय समिति का गठन किया गया और न ही सामग्री के अधिकृत फर्म/आपूर्तिकर्ता को निविदा आमंत्रित की गई। साथ ही डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर भी प्राप्त नहीं किया गया। यहाँ तक की सामग्री का दर स्थानीय बाजार से भी प्राप्त नहीं किया गया तथा लाईट सेट के क्रय/अधिष्ठापन अधिकृत आपूर्तिकर्ता/फर्म से न कर नगर परिषद/पी0डब्लू0डी0 विभाग से निबंधित स्थानीय संवेदक से करवाया गया।

किन परिस्थिति में इतने अधिक मात्रा में लाइट सेट की आवश्यकता होने के बावजूद वित्तीय नियमावली के अनुसार क्रय न कर स्थानीय संवेदक द्वारा किया गया, स्पष्ट नही किया गया। स्पष्ट है कि लाईट सेट के क्रय में न तो वित्तीय नियमों का पालन किया गया, न ही पारदर्शितापूर्ण तत्कालीन दर पर क्रय किया गया, जो गंभीर वित्तीय मामला का परिचायक है।

2. वर्ष 2012 एवं 2013 में हेवेल्स सी0एफ0एल0 लाईट सेट 85 वाट/भेपर लाईट सेट 250 वाट का क्या प्रचलित दर था, लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया।

3. संवेदक द्वारा लाईट से संबंधित कोई अभिश्रव उपलब्ध नहीं कराया गया न ही लाईट सेट क्रय के उपरान्त दुकानदार/फर्म द्वारा दी गई वारन्टी से संबंधित कोई कार्ड संवेदक द्वारा कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। इसके कारण यह स्पष्ट नही हो सका कि लाईट सेट की तकनीकी विशेषताएँ क्या थी तथा किस कंपनी की लगाई गई थी। यद्यपि लेखापरीक्षा के दौरान 13वीं वित्त आयोग अंतर्गत ली गई दो योजनाओं 168/13–14 (वार्ड संख्या 3) एवं 30/13–14 (वार्ड संख्या 5) का संयुक्त स्थल जाँच नगर परिषद के कनीय अभियन्ता के साथ किया गया, जिसमें पाया गया कि वार्ड संख्या 3 में सभी लाईट सेट हेवेल्स के जगह एच0पी0एल0 (HPL) का लगा हुआ था। वार्ड संख्या 5 में हेवेल्स का लगा हुआ पाया गया। स्पष्ट है कि लाईट सेट अधिष्ठापन में भी अनियमितता की गई, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच का विषय है।

4. किन–किन स्थानों पर लाईट सेट लगाया गया इसकी प्रविष्टि योजना पंजी/स्थायी पंजी/संपत्ति पंजी में नहीं दर्ज किया गया था। यह भी स्पष्ट नही किया गया कि नगर परिषद के पास कितने स्वयं के पोल एवं अन्य सरकारी पोल है, जिनपर लाईट सेट लगाया गया था।

5. संचिका के अवलोकन में पाया गया कि बहुत सारे लाईट सेट निजी भवन पर भी लगाया गया था। किन प्रावधान के तहत नगर परिषद द्वारा लाईट सेट निजी भवन पर लगाया गया।
6. संवेदक को लाईट सेट के लगाये जाने हेतु भुगतान संबंधित वार्ड आयुक्त के प्रमाण के आधार पर किया गया था, परन्तु स्थानीय लाभुकों से इसकी कोई प्रमाण नहीं लिया गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि

1. भविष्य में लाईट से संबंधित सामग्री का क्रय नियमानुसार क्रय समिति अथवा अधिकृत फर्म एवं आपूर्तिकर्ता के माध्यम से ही की जाएगी।
2. लाईट का दर तत्काल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2012–13 से 2013–14 के दौरान हैवेल्स लाईट सेट 85 वाट या 250 वाट का प्रचलित दर बाजार से लाकर महालेखाकार कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाएगी।
3. कार्य चूकि संवेदक द्वारा कराया गया है, जिसके कारण अभिश्रव नहीं लगाया गया है।
4. लाईट सेट का आपूर्ति एवं लगाने का कार्य संवेदक द्वारा करवाया गया है। संवेदक के विपत्र से जमानत की राशि काटकर सुरक्षित रखा जाता है, जो 6 माह तक कार्यालय में जमा रहने के बाद यदि लाईट ठीक–ठाक रहा तो उसका प्रमाण–पत्र कनीय अभियन्ता से प्राप्त कर जमानत की राशि वापस किया जाता है।
5. लाईट सेट भिन्न– भिन्न वार्डो में कहाँ– कहाँ लगाया गया है, स्थान के साथ पंजी में अंकित कर लिया जाएगा।
6. नगर परिषद क्षेत्र में कितना लाईट सरकारी पोल पर लगाया गया है, इसका संधारण पंजी में अंकित कर लिया जाएगा।
7. नगर परिषद के अंदर के मुहल्ले की बहुत सारी गलियाँ संकीर्ण है, जिसमें सरकारी पोल नहीं लगे रहने के कारण निजी मकान मालिकों से मौखिक सहमति के बाद लाईट लगाया जाता है, जिसका बिजली विपत्र मकान मालिक ही वहन करते हैं। भविष्य में यदि निजी मकानों पर लाईट लगाना पड़ेगा तो मकान मालिक से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाएगा।
8. भविष्य में स्थानीय लाभुक का भी सहमति पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा।

आपत्ति के आलोक में निरीक्षित कार्यालय का जवाब पर्याप्त नहीं था, क्योंकि क्रय संबंधी वित्तीय नियमों का पालन न किये जाने के कारण सी0एफ0एल0/भेपर लाईट के उचित क्रय दर एवं गुणवत्ता का होना संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः उच्च अधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि उपरोक्त क्रय/अधिष्ठापन के मामले मे उचित क्रयदर/सामग्री की गुणवत्ता के साथ–साथ आपूर्ति किये गये लाईट सेट के कंपनी की सत्यता की जाँच कराकर वस्तुस्थिति से लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय। जाँच पूरी होने तक भुगतान की गई राशि ₹8136400 को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

7337

कंडिका– 2 सोलर लाईट की खरीद पर अधिक व्यय 2.73 लाख

नगर परिषद, नवादा द्वारा वर्ष 2013–14 में बी0आर0जी0एफ0/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अंतर्गत कुल 18 योजनाएँ सोलर लाईट लगाने हेतु ली गई, जिनपर ₹ 37500/– प्रति के दर से कुल ₹675000 का व्यय हुआ, जिसका विवरण निम्न हैं–

क्र0 सं0	योजना सं0	योजना का नाम	प्रा0 राशि/व्यय	संवेदक का नाम (सर्व श्री)
1.	267/13–14	वार्ड संख्या 18 में 8 स्थानों पर सोलर लाईट लगाने का कार्य (बी0आर0जी0एफ0)	300000	जनार्दन प्रसाद (नगर परिषद द्वारा निबंधित)
2.	266/13–14	वार्ड संख्या 28 में 8 स्थानों पर सोलर लाईट लगाने का कार्य (बी0आर0जी0एफ0)	300000	ईश्वरी राय (पथ प्रमंडल द्वारा निबंधित)
3.	55/13–14	वार्ड संख्या 28 में 2 स्थानों पर सोलर लाईट लगाने का कार्य (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग)	75000	तथैव
			675000	

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1. **सोलर लाईट का अधिष्ठापन MNRE/BREDA द्वारा निर्धारित मानक एवं मानदण्ड के आधार पर MNRE/BREDA के अधिकृत विक्रेता से न किया जाना–**

   संबंधित संचिका के जाँच में पाया गया कि सोलर लाईट का अधिष्ठापन MNRE/BREDA द्वारा अधिकृत विक्रेता से न करवाकर नगर परिषद द्वारा निबंधित स्थानीय संवेदक से करवाया गया, जो अनियमित है। किन कारणों से एवं किन प्रावधानों अंतर्गत ऐसा किया गया, स्पष्ट नहीं किया गया।

2. तकनीकी विशिष्टियाँ का उल्लेख नहीं/फर्म का उल्लेख नहीं

   न तो प्राक्कलन/निविदा में और न ही कार्यादेश/मापी पुस्तिका में सोलर लाईट की तकनीकी विशिष्टियाँ दर्शायी गई। सोलर लाईट किस फर्म का था, यह भी उल्लेख नहीं था। संबंधित संचिका में तकनीकि विशिष्टियाँ/फर्म का नाम आदि की सूचनाएँ नहीं रहने के कारण स्थानीय एवं निम्न गुणवत्ता वाले सोलर लाईट के अधिष्ठापन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नही किया गया कि सोलर लाईट का सामग्री – सोलर प्लेट, बैट्री आदि की तकनीकि विशिष्टियाँ क्या है तथा किस कंपनी का है।

3. सोलर लाईट के रख– रखाव तथा वारन्टी के संबंध में संवेदक से कोई एकरारनामा नहीं किया गया।

4. स्थानीय लाभुकों द्वारा अधिष्ठापन का कोई प्रमाणपत्र नहीं पाया गया।

5. विदित है कि Bihar State Electronic Dev. Corporation Ltd. (BSEDC) द्वारा दिनांक 23.05.12 के अनुसार सोलर लाईट का दर (अधिष्ठापन सहित) ₹22355 मात्र था। इस प्रकार प्रति सोलर लाईट पर ₹15145 (37500–22355) का अधिक व्यय हुआ। स्पष्ट है कि नगर परिषद द्वारा 18 सोलर लाईट के अधिष्ठापन में संवेदक को कुल ₹272610 का अधिक भुगतान किया गया।

जवाब में बताया गया कि

1. भविष्य में MNRE/BREDA से कोटेशन प्राप्त कर सोलर लाईट का आपूर्ति की जाएगी। वर्त्तमान में MNES Specification का सोलर लाईट सामान्य संवेदक द्वारा निविदा के माध्यम से लगाया गया है।
2. योजना के प्राक्कलन में तकनीकी विशिष्टियों का उल्लेख किया गया है, जो निम्न प्रकार है:–
   11 Watt Solar Light set with G.I. 20'0" Pipe, Exide Battery with Three Year Warranty with Tata B.P. Solar plate 75 watt with cap and kit.
   सोलर लाईट में Exide कंपनी का बैट्री है तथा TATA B.P. का सोलर प्लेट है। उपरोक्त दोनों कंपनी ISI मार्का का है।
3. स्थानीय बाजार का कोटेशन एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा जो पूर्व में निर्धारित दर 42100/– का था उसे प्राप्त कर तथा उस दर से 10 प्रतिशत कम करते हुए जो मो0 37500/– रूपये है, को आधार मानते हुए प्राक्कलन तैयार किया गया है।
4. चूँकि एकरारनामा PWD के F2 फार्म पर किया जाता है, जिसमें अग्रधन 5 प्रतिशत एवं जमानत की राशि 5 प्रतिशत कुल 10 प्रतिशत छः महीनों तक जमानत के रूप में रखा जाता है। इस बीच किसी भी तरह का त्रुटि पाये जाने पर संवेदक द्वारा इसकी मरम्मति की जाती है। सभी संतोषजनक प्रमाण– पत्र प्राप्ति के छः माह के बाद उपरोक्त राशि लौटाई जाती है। वर्त्तमान में उक्त योजना की काटी गई राशि कुल 10 प्रतिशत लौटाई नहीं गई है।
5. संबंधित वार्ड के वार्ड पार्षदों से कार्य किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र लेकर ही भुगतान किया गया है।

उपरोक्त जवाब संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि सोलर लाईट का मानक दर (₹22355) पर क्रय न कर किसी ग्राम पंचायत द्वारा क्रय किये गये दर को आधार बनाकर निविदा निकाला जाना तथा अधिष्ठापन किया जाना अनियमित है। अतः राशि ₹272610 दोषी व्यक्ति/व्यक्तियों से वसूलनीय है।

कंडिका– 3 बिजली बिल मद में अनावश्यक बिलम्ब शुल्क का भुगतान – ₹ 6.09 लाख

नगर परिषद, नवादा के वर्ष 2013–14 के लेखाओ की लेखा परीक्षा के क्रम में पाया गया कि परिषद कार्यालय द्वारा वर्ष के दौरान आठ हाईमास्ट लाईट तथा स्ट्रीट लाईट के बिजली बिल मद में

दक्षिण बिहार उर्जा वितरण कंपनी को कुल ₹32,34,456 का भुगतान किया गया था, जिसमें विलम्ब शुल्क अधिभार के रूप में ₹6,09,220 शामिल था। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV पर)

मुख्य सचिव, बिहार सरकार द्वारा पत्रांक 6594 दिनांक 26.06.13 के माध्यम से भी इस तरह के मामलों में सख्त निर्देश जारी किए गए थे कि निधि उपलब्ध रहने के बावजूद बिजली बिल भुगतान में विलम्ब होने पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यदि निधि का अभाव है, तो आवंटन की माँग की जानी चाहिए।

नगर परिषद, नवादा द्वारा मदवार आय– व्यय विवरण तैयार नहीं किए जाने के कारण किस मद में कितनी राशि थी, यह पता नहीं चल सका। साथ ही उपभोक्तावार पंजी का संधारण नहीं किये जाने के कारण विलम्ब शुल्क अधिभार की अवधि का पता नहीं चल सका। बिजली विभाग द्वारा उपलब्ध कराये बिल में बहुत बड़ा भाग विलम्ब शुल्क अधिभार का था, इसका तात्पर्य है कि पूर्व में भी इस संबंध में परिषद कार्यालय द्वारा कोई तत्परता नहीं दिखाई गई।

उत्तर में बताया गया कि पर्याप्त निधि के अभाव में बिजली विपत्र का भुगतान समय पर नहीं किया जा सका, भविष्य में निर्धारित समय सीमा के भीतर विपत्र भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि यदि निधि का अभाव था, तो विभाग से इसकी माँग की जानी चाहिए थी, परन्तु परिषद कार्यालय की उदासीनता के कारण विलम्ब शुल्क अधिभार के रूप मे ₹6.09 लाख का भुगतान करना पड़ा।

अतः इस संबंध में दोषी कर्मचारियों/पदाधिकारियों पर जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए उक्त अधिक भुगतान की भरपाई की कार्रवाई कर महालेखाकार को सूचित किया जाय।

कंडिका– 4 श्रम उपकर की कटौती नहीं ₹2.76 लाख

भारत सरकार श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण' उपकर अधिनियम 1996 के तद्नुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना संख्या 4/एफ–1–302/2006, श्र0नि0–865 दिनांक 18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को निप्रेषित का प्रावधान है। परंतु लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये योजना विवरणी के अनुसार वर्ष 2013–14 के दौरान योजनाओं पर नगर परिषद, नवादा द्वारा ₹27681335 का भुगतान किया गया, परन्तु संबंधित संवेदक के विपत्रों से श्रम उपकर के रूप में 1 प्रतिशत की कटौती नहीं की गयी, फलस्वरूप संवेदक को ₹276813 का अधिक भुगतान हुआ, जो कि वसूलनीय है।

जवाब में बताया गया कि भूलवश वर्ष 2013–14 को योजनाओं में श्रम उपकर की नहीं किया जा सका है। इस संबंध में योजनाओं से संबंधित संवेदकों को राशि वसूली हेतु नोटिस दिया जा रहा है। साथ ही, वैसे संवेदक, जिनका अग्रधन रख जमानत की राशि नहीं लौटायी गई है, उनके विपत्र से श्रम उपकर

1 प्रतिशत कटौती करने के बाद भुगतान किया जाएगा। श्रमशेष राशि ₹276813 को संबंधित शीर्ष खाते में जमा करवाकर इस कार्यालय को सूचित किया जाय।

कंडिका– 5 प्रावधान के विपरीत अनुदान राशि का विचलन ₹17.16 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 4713 दिनांक 17.08.10 द्वारा 13 वीं वित्त आयोग संबंधी दिशा–निर्देश के अनुसार प्राप्त निधि का व्यय निम्नवत् किया जाएगाः–

1. कम से कम 50 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
2. पाईप जलापूर्ति व्यवस्था रख–रखाव सहित
3. सड़कों में प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल पर उपभोग किए गए बिजली बिल का भुगतान
4. रैन बसेरा/ओल्ड ऐज होम का निर्माण एवं रख–रखाव

नगर परिषद, नवादा के वर्ष 2013–14 से संबंधित योजना पंजी, योजनाभिलेख तथा रोकड़बही की जाँच में पाया गया कि 13वीं वित्त योजना के तहत कुल 69 चापाकलों का अधिष्ठापन किया गया था, जिसकी प्राक्कलित राशि ₹17,45,000 थी तथा इन योजनाओं पर ₹17,16,768 का भुगतान किया गया था (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– V पर)। 13वीं वित्त अंतर्गत पाईप जलापूर्ति का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रत्येक घर में पाईप के माध्यम से जल की आपूर्ति की जानी चाहिए, जबकि नगर परिषद द्वारा प्रावधान के विपरीत चापाकल की योजनाएँ ली गई।

उत्तर में बताया गया कि 13वीं वित्त आयोग के दिशानिर्देश में पाईप जलापूर्ति को सिर्फ जलापूर्ति मानकर चापाकल की योजनाएँ ली गई। यद्यपि भविष्य में आपत्ति के आलोक में इसकी पुनरावृति नहीं होगी।

जवाब संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि उपरोक्त परिस्थिति से यह निष्कर्ष निकलता है कि राशि का विचलन कर योजनाएँ ली गई। अतः जिस मद में चापाकल का प्रावधान किया गया है, उस मद से राशि की प्रतिपूर्ति कर 13वीं वित्त आयोग मद को वापस किया जाए।

कंडिका– 6 दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय ₹18.40 लाख

बिहार सरकार के पत्र सं.– 4 अ से 1–103/87–1231/न0वि0वि0 दिनांक 06.05.92 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगायी गयी है।

परंतु लेखापरीक्षा में उपलब्ध लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार, नगर परिषद में वर्ष 2013–14 के दौरान ₹1840872 दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया, जो कि सरकार के निर्देशों के विरूद्ध एवं अप्राधिकृत था। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VI पर)

उत्तर में बताया गया कि दैनिक मजदूरों को वेतन भुगतान की स्वीकृति बोर्ड द्वारा प्रदान कर दी गई है तथा विभाग में इस हेतु स्वीकृति करवाई जाएगी।

जवाब संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी इसी तरह की अंकेक्षण आपत्तियाँ की जाती रही हैं तथा यही जवाब मिलता रहा है, परन्तु सरकार से स्वीकृति नहीं ली जाती है।

अतः इस संबंध में सरकार से शीघ्र ही स्वीकृति ली जाए, स्वीकृति प्राप्ति तक इस राशि को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका– 7 प्राक्कलन से अधिक भुगतान ₹0.52 लाख

योजना सं.	95/12–13
मद	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग
योजना का नाम	वार्ड नं0 26 में कलीम हवीबी के घर से खूरी नदी तक एवं जाकिर हुसैन से जाको मिया तक नाली स्लैप एवं पी.सी.सी. कार्य
प्राक्कलित राशि	460000
तकनीकी स्वीकृति	24.01.13
प्रशासनिक स्वीकृति	03.04.13
मापी पुस्त की राशि	452775

1. प्राक्कलन के अनुसार मद संख्या 2 की राशि– 118901
   Provide 100A B/w with cm (1:4)
   In foundation.....
   36.81 m^3 @ 3230/ m^3 = 118901

मापी पुस्त के अनुसार 48.627 m^3 @ 3230 = 157066.81

अधिक भुगतान की राशिः 38165.81 (24 प्रतिशत अधिक)

2. मद संख्या 3 के अनुसार प्राक्कलन–
   Provodomg 12 mm thick cement with
   Punning .....
   205.39 m^2 @ 107.60/ m^2 = 22100

   मापी पुस्त के अनुसार–

   243.35 m^2 @ 107.60 m^2 = 26184.46

   अधिक भुगतान (26184.46– 22100) 4084.46

3. प्राक्कलन के मद संख्या 7 के अनुसार–

   Providing PCC work

   With all complete.....

   96.65 m^2 @ 205/ m^2 = 19814

   मापी पुस्त के अनुसार मद सं0 6 के अनुसार

   118.19 m^2 @ 205/ m^2 = 24228.95

अधिक भुगतान राशि = (24228.95 – 19814)

= 4414.95 (18 प्रतिशत अधिक)

4. प्रा0 के मद सं0 8 के अनुसार–

Extra cost of bricks.....

14950 No. @ 827 = 12363

मापी पुस्त के अनुसार मद सं0 8 के अनुसार

19600 No. @ 827 = 16209.20

अधिक भुगतान राशि = 16209.20 - 12363

= 3846.20 (23 प्रतिशत)

5. प्रा0 के मद सं0 10 के अनुसार–

Carriage of Brick lead 8....

14950 No. @ 474 = 7086

मापी पुस्त के अनुसार मद सं0 10 मद संख्या–

19600 No. @ 474 = 9290.4

अधिक भुगतान राशि = 9290.40 - 7086

= 2204.40 (23 प्रतिशत)

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

उपर्युक्त मद में क्र0 सं0 1 से 5 के अनुसार प्रा0 राशि से 16 प्रतिशत से 24 प्रतिशत मापी पु0 के अनुसार अधिक भुगतान किया गया था। इस प्रकार कुल ₹52716.00 भुगतान किया गया था। नियमानुसार प्राक्कलन से ± 10 प्रतिशत ज्यादा या कम कार्य कराकर भुगतान किया जाना था।

उत्तर में बताया गया कि इस संबंध में संबंधित कनीय अभियन्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त कर तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई कर महालेखाकार को अवगत करा दिया जाएगा। स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक राशि ₹52716 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका– 8 मोबाईल टावर का बकाया पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क ₹11.48 लाख

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के प्रावधानों के अनुसार निगम क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित मोबाईल टावरों पर पंजीकरण शुल्क ₹40000 प्रति टावर तथा नवीकरण शुल्क ₹10000 प्रति टावर प्रतिवर्ष अधिरोपित किया जाता है।

331

इस प्रकार मोबाईल टावरों का पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क निगम के आय का एक मुख्य स्त्रोत है। नगर परिषद नवादा के मोबाईल टावरों से संबंधित संचिका, माँग पंजी एवं उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत 31 मार्च 14 तक कुल ₹11,48,000 पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क के रूप में बकाया था।

उत्तर में बताया गया कि बकाया वसूली हेतु मोबाईल टावर कंपनियों को नोटिस जारी कर बकाया वसूली की कार्रवाई की जाएगी। वसूली हेतु नियमानुसार सार्थक प्रयास किया जाय।

कंडिका– 9 बोर्ड की अनुमति के बिना चतुर्थ राज्य वित्त आयोग कर्णांकित राशि का एक मद से दूसरे मद में निधि का उपयोग– ₹40.32 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 3886 दिनांक 30.10.12 के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग में शामिल प्रक्षेत्र "हाथ से मैला ढ़ोने की व्यवस्था समाप्त करना" हेतु कर्णांकित राशि का उपयोग यदि नहीं हो पा रहा है, तो उस राशि का उपयोग मार्गदर्शिका में शामिल अन्य पाँच प्रक्षेत्रों में किया जा सकता है, परंतु इस हेतु निकाय के बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक होगी।

नगर परिषद, नवादा द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्ष 2013–14 की रोकड़ बही तथा मदवार व्यय पंजी की जाँच में पाया गया कि "हाथ से मैला ढ़ोने की व्यवस्था समाप्त करना" मद में कर्णांकित राशि से नाली निर्माण, पी.सी.सी., सोलिंग आदि कार्य कराया गया था, जबकि उक्त मद की राशि को अन्य मद में खर्च करने हेतु बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। दिनांक 01.04.13 को उक्त शीर्ष में ₹53,53,358 प्रारंभिक शेष के रूप में था तथा वर्ष 2013–14 की अवधि में कुल राशि ₹40,32,111 की अन्य योजनाएँ ली गयी थी। (विवरणी परिशिष्ट– VII पर) बोर्ड के स्वीकृति बिना एक मद हेतु कर्णांकित राशि का दूसरे मद में व्यय किया जाना सरकारी आदेश का उल्लंघन है।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति के आलोक में भुतलक्षी प्रभाव से बोर्ड की स्वीकृति ले ली जाएगी तथा भविष्य में इसका ध्यान दिया जाएगा। बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त होने तक राशि ₹40,32,111 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका– 10 दुकान किराया मद में बकाया राशि ₹11.63 लाख

नगर परिषद, नवादा के वर्ष 2013–14 के लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा दुकान किराया से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि परिषद कार्यालय द्वारा बकाया दुकान किराया से संबंधित विवरणी प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार दिनांक 31.03.14 तक विभिन्न दुकानदारों के यहाँ कुल ₹11,63,361 बकाया थी। विवरण निम्न है–